228

Authoritative English text of Government Notification No. Agr.- B(2)-1/2009, dated 28-9-2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture

No. Agr B(2)-1/2009 Dated Shimla-2, the 28-9-2010

Directorate of Agriculture H.P. Dy. No. 1012 Date 4-10-10

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintending Engineer (Soil Conservation), Class-I (Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely :-

Short title and Commencement	1	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Suprintending Engineer (Soil Conservation), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010.
		(ii)	These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

By Order,

Secretary (Agr.) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No.: As above. **Dated Shimla-2,** 28-9-2010.

Copy is forwarded to the following:-

1-All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP, Shimla-2
2.The Controller, P&S, Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
3.The Assistant Legislative Draftsman (English), HP Sectt. Shimla-2.
4.The Director of Agriculture, H.P., Shimla-5

Directorate of Agriculture H.P.
Dy. No. 8643
Date 4/10/10
Central Diary

Deputy Secretary (Agr.) to the
Government of Himachal Pradesh

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDING ENGINEER(SOIL CONSERVATION)(GAZETTED) CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE,HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of post:	Superintending Engineer(Soil Conservation)
2.	Numbers of post(s):	01 (One)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of Pay :	Pay Band Rs.37400-67000+Rs.8700/- Grade pay
5.	Whether "Selection" post or "Non-selection" post:	Selection
6.	Age for direct recruitment:	Not applicable.
7	Minimum Education and other qualifications required for direct recruit(s):	(a)Essential Qualification(s): Not applicable. (b)Desirable Qualification(s): Not applicable.
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	Age: Not applicable. Educational Qualification: As prescribed in Column No.11.
9.	Period of probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100 % by promotion, failing which on secondment basis.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made:	By promotion from amongst the Divisional Engineers (Soil Conservation) who hold the Degree of B.Sc. (Agriculture Engineering)/ B.Tech.(Agriculture Engineering) /B.E. (Agricultrue Engineering) /B.Tech. (Civil Engineering) /A.M.I.E. in Agriculture/ Civil Engineering from a recognized University with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the

incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Govt. Departments having similar educational qualification and experience as prescribed above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided, that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Similarly in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a departmental promotion committee, exists, what is its composition:	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitments:	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	Not applicable.

15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedules Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Every member of the service shall pass Departmental Examiniation as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules,1997 as amended from time to time.
18.	Power to relax.	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the H..P P.S.C. relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

225

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग ।

संख्या : एग्र–बी (2)–1/2009 तारीख शिमला –2 28-9- 2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में, अधीक्षण अभियन्ता (भू–संरक्षण),वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(i)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, अधीक्षण अभियन्ता (भू–संरक्षण),वर्ग–I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
		(ii)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः तारीख 28-9- 2010
प्रतिलिपिः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2 ।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को उनके पत्र संख्या 1–6/98–पी एस सी–पार्ट दिनांक 22–7–2010 के संदर्भ में ।
3. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी–I (हिन्दी) हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला–2
5. निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5.

उप सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

226

उपाबन्ध – " क "

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, में अधीक्षण अभियन्ता (भू–संरक्षण), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम :	अधीक्षण अभियन्ता (भू–संरक्षण)
2. पदों की संख्या :	1 (एक)
3. वर्गीकरण :	वर्ग–I (राजपत्रित)
4. वेतनमान :	पे बैंड 37400–67000/–रूपए जमा 8700/– रूपए ग्रेड पे ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क)अनिवार्य अर्हताएंः **लागू नहीं** । (ख)वांछनीय अर्हताएं : लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताः जैसा स्तम्भ संख्या–11 में विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत् प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकन्डमैंट आधार पर ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणी जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगाः	मण्डलीय अभियन्ता (भू–संरक्षण) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कृषि इंजीनियरिंग)/बी.टेक. (कृषि इंजीनियरिंग)/बी.ई.(कृषि इंजीनियरिंग)/ बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग)/कृषि में ए.एम.आई.ई./सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि रखते हों, में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा,यदि कोई हो,

को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में समरूप शैक्षिक अर्हता और उपरोक्त यथा विहित अनुभव रखने वाले इस पद के पदधारियों में से सैकेंण्डमैंट आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक)प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :—

परन्तु उन सभी मामलों मे जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक)पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

2 इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

L
5/6

277

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियो में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं ।
16. आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों / अन्य पिछडे वर्गों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,1997में यथा-विहित विभागीय परीक्षा उर्तीण करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।